(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :—

1. Registrar General, India —Chairman
2. Joint Secretary (Administration) Ministry of Home Affairs —Member
3. Additional Registrar General, India/ Joint Registrar General, India —Member

[F. No. A-12032/9/99-Ad. II/V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 76.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग वित्त और बजट अधिकारी समूह-क पद भर्ती नियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (वित्त और बजट अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती(संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग वित्त और बजट अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम, 1990 की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
वित्त और बजट अधिकारी	1* (2011) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, (15600–39100 रु.) + ग्रेड वेतन 6600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति :** निम्नलिखित किसी संगठित लेखा सेवाओं या विभाग से अधिकारी, अर्थात्:— (i) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाएँ; (ii) भारतीय सिविल लेखा सेवा; (iii) भारतीय लागत लेखा सेवा; (iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा; (v) डाक और तार लेखा तथा वित्त सेवा; (vi) भारतीय रेल लेखा सेवा; (vii) रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा लेखा महा नियंत्रक; (viii) वित्त मंत्रालय के अधीन लेखा महा नियंत्रक; (ix) डाक और दूर संचार विभाग के लेखा और वित्त खंड के अधीन अधिकारी; (x) नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग; या (xi) केन्द्रीय सरकार की कोई अन्य समतुल्य लेखा सेवा; (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 3, (15600—39100 रु.) या वेतन बैंड 2 (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 5400 रुपए या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; या (ग) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड 2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4800 रुपए या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले, उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उत्रयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 39021/04/2009-स्था.(ख)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम, सा.का.नि. सं. 17, तारीख 13 जनवरी, 1990 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. सं. 279, तारीख 27 जुलाई, 2002 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 21st February, 2011

G. S. R. 76.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission (Finance and Budget Officer) Group-A post, Recruitment Rules, 1990, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission (Finance and Budget Officer) Recruitment Group-A post (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule to the Union Public Service Commission (Finance and Budget Officer) Group-A post, Recruitment Rules, 1990, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Finance and Budget Officer	1*(2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) and Grade Pay Rs. 6600	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Deputation	**Deputation :** Officers from any of the following Organized Accounts Services or Department, namely :— (i) Indian Audit and Accounts Service; (ii) Indian Civil Accounts Service; (iii) Indian Cost Accounts Service; (iv) Indian Defence Accounts Service; (v) Post and Telegraph Accounts and Finance Service; (vi) Indian Railway Accounts Service; (vii) Controller General of Defence Account under Ministry of Defence; (viii) Controller General of Accounts under Ministry of Finance; (ix) Officers under Accounts and Finance Wings of Department of Posts and Telecommunications; (x) the Indian Audit and Accounts Department under the Comptroller and Auditor General, or (xi) Any other equivalent Accounts Service of the Central Government, (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (b) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Posts in the Pay Band-3 (Rs.15600—39100) or Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) with Grade Pay Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or (c) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band-2 (Rs. 9300—34800) with Grade Pay Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department. **Note 1 :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 that is the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultations with the Union Public Service Commission necessary. "

[F. No. 39021/04/2009-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note :— The principal rules were published in the vide number G.S.R. 17, dated the 13th January, 1990 and was last amended vide number G.S.R. 279, dated the 27th July, 2002.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 77.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 2011 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग पर्यवेक्षक (गोपनीय) भर्ती नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में "वेतनमान" शब्द के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पर्यवेक्षक (गोपनीय)	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300-34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष